



Neutral Citation No. 2026:AHC:127452

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19939 वर्ष 2026

निलय धर दुबे

.....आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(यों)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : अरविंद प्रबोध दुबे
विपक्षी(यों)के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, मनोज कुमार तिवारी

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आज पूरक शपथपत्र दाखिल कर अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद प्रबोध दुबे, प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार तिवारी और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. यह जमानत आवेदन आवेदक को वाद अपराध संख्या 49 वर्ष 2025, धारा 64, 75, 85, 115(2), 352 भारतीय न्याय संहिता और धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत, थाना - महिला थाना, जिला- गोरखपुर में जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। पीड़िता/प्रथम सूचनाकर्ता ने 16.10.2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें आवेदक के विरुद्ध बलात्कार का कोई आरोप नहीं लगाया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115(2), 352 और 75 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दर्ज की गई थी। अन्वेषण के दौरान, पीड़िता ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 183 के तहत दर्ज अपने बयान में आरोप लगाया कि 12.05.2025 को आवेदक ने उसके साथ बलात्कार किया था। हालांकि, दिनांक 16.10.2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में ऐसा कोई आरोप नहीं था। आवेदक पीड़िता का देवर है और पीड़िता और उसके भाई के बीच वैवाहिक विवाद के कारण उसे झूठा फंसाया गया है। वैवाहिक विवाद को आपराधिक अपराध में परिवर्तित कर दिया गया है। आवेदक के विरुद्ध बलात्कार के आरोप को लंबे समय तक सलाखों के पीछे रखने के लिए झूठा आरोप लगाया गया था। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक 11.05.2026 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदक के विरुद्ध अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा अग्रवर्ती प्रतिद्वंदी प्रस्तुतियों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों, आवेदक द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के अभाव पर विचार करने के बाद, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत दिए जाने के लिए मामला सिद्ध कर दिया है।

7. अतः, जमानत आवेदन **स्वीकार** की जाती है।

8. उपरोक्त मामला अपराध में शामिल आवेदक- **निलय धर दुबे** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप निजी मुचलका और समान राशि में दो जमानती पेश करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर कोई स्थगन करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा/खुला रहेगा।

(ii) आवेदक को प्रत्येक निर्धारित तिथि पर या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भारतीय दण्ड संहिता / 269 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही कर सकता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता / 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। और यदि आवेदक निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसी घोषणा में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए भारतीय दण्ड संहिता / 209 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय होने और (3) धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण जज को गवाहों के परिसाक्ष्य के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

16 जून, 2026

राधिका

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”